मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-65/2014/1/4 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश

विषय :- समाधान 1 दिवस के अंतर्गत सेवा कमांक 6.4-राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की प्रति प्रदाय प्रकिया।

संदर्भः- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 एवं 16.02.2015।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-06 दिनांक 10.04.2013 द्वारा राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करने संबंधी विषय लोक सेवा कमांक 6.4 के रूप में अधिसूचित की गई है। संदर्भित पत्र द्वारा प्रकिया निर्धारित कर 3 दिवस में मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करने के निर्देश है। उक्त प्रकिया में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

(1) सेवा का उद्देश्य--नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से सेवा कमांक 6.4-राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि प्रदान किए जाने हेतु इस सेवा का प्रदाय 01 दिवस में किया जाए।

(2) पदाभिहित अधिकारी--कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ।

(3) पात्रता की आवश्यक शर्तें--आवेदक भारतीय नागरिक हो।

(4) आवश्यक दस्तावेज--कोई नहीं।

(5) आवेदन करने का स्थान--लोक सेवा केन्द्र।

(6) <u>लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन करने की प्रक्रिया</u>–

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिए संलग्न आवेदन अनुसार पूर्ण आवेदन ही लोक सेवा केन्द्र में स्वीकार किए जाएंगे।

6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाईन किया जाएगा।

6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गॉरंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जाएगी।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक का मोबाईल नं0 अनिवार्य है इसके अलावा अगर आधार नं0 एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भरा जाएगा।

6.5 आवेदन का पंजीयन मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी में किया जाएगा ।

(7) <u>आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया</u>–

7.1 आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से पोर्टल mpedistrict पर ऑनलाईन प्राधिकृत अधिकारी के अकाउंट में प्राप्त होगा।

7.2 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पोर्टल/रनर के माध्यम से मतदाता सूची की प्रति निकलवाकर सील एवं हस्ताक्षर से प्रति अभिप्रमाणित की जाएगी।

7.3 अभिप्रमाणित प्रति आवेदक को प्रदान करते हुए पोर्टल mpedistrict पर भी अपलोड की जाएगी।

7.4 यदि किसी कारण से सेवा अमान्य/निरस्त की जाती है तो स्पष्ट युक्तियुक्त कारण उल्लेखित किया जाए।

(8) <u>शुल्क</u>–

8.1 लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क।

8.2 मतदाता सूची की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ हेतु रू. 5 का भुगतान करना होगा।

(9) <u>अपील</u>–समाधान 1 दिवस प्रक्रिया में आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा:–

1. आवेदन पत्र अमान्य किए जाने पर

अथवा

आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर।

2. प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समय–सीम 30 दिवस तथा द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समय–सीमा 60 दिवस होगी।

अपील निम्नानुसार की जा सकेगी:—

सेवा क्र0	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय—सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
6.4	राज्य निर्वाचन के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय मतदाता सूची	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 दिवस	कलेक्टर

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के.कातिया)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 19—65/2014/1/4 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि:—

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।

18. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर।
19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
21. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ।
22. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
23. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(संजय कुमार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय की मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने हेतु

आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम ....
2. आयु ....
3. पिता/पति का नाम ....
4. आवेदक द्वारा चाही गई मतदाता सूची के प्रकाशन का वर्ष ....
5. नगरीय निकाय/ग्रामीण निकाय/ विकासखंड का नाम, वार्ड का नाम एवं क्रमांक (अनुभाग यदि ज्ञात हो तो उल्लेख करें) ....
   (मतदाता सूची का सरल क्रमांक ज्ञात हो तो उल्लेख करें।) ....
6. चाहे गए पृष्ठों की संख्या ....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम ....
एवं पता ....
....
मोबाइल नम्बर ....
ई–मेल, यदि हो ....

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के
नियम 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....
एवं पता ....

1. आवेदक का नाम एवं पता ....
....
....

2. पिता / पति का नाम ....

3. नगरीय निकाय / ग्रामीण निकाय / विकासखंड का नाम, वार्ड का नाम जिसकी मतदाता सूची की सत्य प्रतिलिपि चाही गयी है। ....

4. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक ....

5. निश्चित की गई समय–सीमा की अंतिम दिनांक ....

स्थान ....
दिनांक ....

प्राप्तकर्ता अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....